



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 997 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2010-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 11 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पूर्णकालिक सदस्य / निदेशकगणों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में उ०प्र० शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के प्रतिबन्धाधीन अनन्तिम रूप से अनुमन्य कराये गये वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 661- काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 12 जून, 2009 में निहित व्यवस्थाओं को उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० वे०आ०-2-287-59(एम)/08 दिनांक 16.03.2010 की अनुरूपता में अंगीकृत करते हुए निम्नानुसार अनन्तिम रूप से संशोधित / प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अपुनरीक्षित वेतनमान	दि० 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	दिनांक 01.01.06 से संशोधित वेतनमान
22400-525-24500	वेतन बैण्ड-4 (37400-67000)	12000	वेतनमान रु० 67000/- वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से रु० 79000/-

उपरोक्त संशोधित वेतन बैण्ड की अनुमन्यता कारपोरेशनादेश सं० 661-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 12.06.2009 में निहित प्रतिबन्ध / प्राविधानों के अधीन होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 997 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय ऊर्जा मंत्री जी उ०प्र० के निजी सचिव।
2. सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. सचिव (वित्त) उ०प्र० शासन लखनऊ।
4. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


(कमश2)

4

(2)

7. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानुपर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक 30प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.2010 को सम्पन्न मद सं० चौरासी (95)/10 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में ।
13. अधिशासी अभियंता (वेब) कक्ष सं०-407 शक्ति भवन, लखनऊ को 30प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट [www. uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(आर० एस० पाण्डेय)
अपर सचिव (प्रथम)